

21/11/22

MD

22/XII/22

ई फाईल संख्या 37105-

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE(P)/Almora

MMS

21-12-2022
प्रमुख अभियन्ता
लो.नि.वि.

2696/SSg-III (P)

प्रमुख अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2-

देहरादून: दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत संगोड नायल बंतोली मोटर मार्ग के किमी 0 1.00 से 5.00 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिनके उक्त मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 5.00 किमी 0 एवं लागत ₹2.00 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹2.00 लाख (₹ दो लाख मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 010. लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या 1764-III(2)/10-17(सामान्य)/2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-385/III(1)/19-190(पी.डब्लू.डी)/2001 टी.सी.॥ दिनांक 05.02.2010 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्क्योरमेन्ट रूल्स 2017-एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047-XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी. भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाशक्य व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित तथा निर्वर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री

88/2/22

इं० जीवन सिंह
वरिष्ठ स्टाफ आर्किटेक्टअतिरिक्त
23/12/22

ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xii. उक्त कार्य हेतु लो 0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1403-/III(2)/21-08(सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक- 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-02 अनुसूचित जातियों के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-0201 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग -02 के कम्प्यूटर जनित संख्या I/84292/2022, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीत कुमार)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन
3. सचिव, मा .मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
7. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्राधिकारी, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
12. अधिशामी अभियन्ता, अम्थाई.खण्ड, लो .नि .वि., बेरीनाग।
13. गार्ड फाईल।

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव

Signed by Shyam Singh
Date: 20-12-2022 12:44:34



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/84810/2022
 अनुदान संख्या -030

आवंटन आई डी-S22120300029
 आवंटन पत्र दिनांक-20-DEC-2022

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल
 कम्पोनेन्ट प्लान

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-02-05 से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	2	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
53-वृहद निर्माण				10000	10000	0	20000					
योग				10000	10000	0	20000					

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 1062 / 20 याता0'क' / 2022

दिनांक-23.12.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
- अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।